चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1016
दिनांक : 15/6/2010

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा, अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रस्तावित बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, **गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयो में शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बी0ए0 **(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र** एवं अर्थशास्त्र) विषयों में शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु कुलपति जी द्वारा डॉ0 दिनेश कुमार, प्राचार्य, एस0डी0 कालेज, मुजफ्फरनगर के संयोजकत्व में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/1490, दिनांक 01.05.2010 द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 29.05.2010 को संस्थान का निरीक्षण कर अपनी आख्या एवं संस्तुति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की है। सन्दर्भित महाविद्यालय को प्रस्तावित बी0ए0 **(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र,** गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित **निरीक्षण मण्डल** ने महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं पत्रांजातों का अवलोकन किया तथा निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया

1. शासनादेश दिनांक 10. जून, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता हेतु गठित संस्तुति का प्रमाण पत्र सलग्न है।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति स्वामी कल्याण देव वैदिक शिक्षा समिति बनत (मु0 नगर) पंजीकरण तिथि 16.10.2008 वैधता तिथि 15.10.2013।
3. महाविद्यालय ने 10000 वर्गमीटर भूमि तीस वर्ष के लिए स्वामी कल्याण देव वैदिक शिक्षा समिति से लीज पर ले रखी है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। लीजडीड मूलरूप से संलग्न है।
4. महाविद्यालय की भूमि के खाता संख्या–90 गाटा संख्या–6 का एक ही गाटा है जिसका संयुक्तता प्रमाण पत्र नजरी नक्शा मूलरूप में संलग्न है।
5. महाविद्यालय ग्राम पचायत में स्थित है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न है।
6. सोसाइटी नई है। एक वर्ष की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बेलेंस शीट सलग्न है।
7. सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में 5,71,120/– रू0 जमा है।
8. बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्राभूत राशि रू0 2,00,000/– एफ0डी0 नं0–31189413332 दिनांक 29.05. 2010 है।
9. प्रबन्धतंत्र द्वारा रू0 50/– का सत्यापित शपथ पत्र मूलरूप से सलग्न है।
10. महाविद्यालय नया है।
11. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षा, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र/छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालय, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि का प्रमाण पत्र सलग्न है।
12. महाविद्यालय में मानकानुसार फर्नीचर की समुचित व्यवस्था है एवं महाविद्यालय में बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकालय में 765 पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फर्नीचर एवं पुस्तकों के बिल संलग्न है।
13. महाविद्यालय में गृहविज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध है जिसमें पर्याप्त मात्रा में उपकरण/संयंत्र उपलब्ध है।
14. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से अपेक्षित है।

क्रमांक.........2

15. मानकानुसार संचालित बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित है। विषय विशेषज्ञों के नाम संलग्न है।

16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यो के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का फोटोग्राफ, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का निरीक्षण मण्डल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संलग्न है।

17. निरीक्षण मण्डल की संस्तुति संलग्न है।

18. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध मे की गयी सस्तुति संलग्न है।

19. महाविद्यालय की वेबसाइट एवं ई-मेल की स्थिति www.kalyandevcollege.co.in

20. संस्थान / महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्रो की सुविधा का प्रमाण पत्र संलग्न है।

21. शासनादेश संख्या-4954 / सत्तर-2-2008-2(166) / 2002, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।

उपरोक्त विवरणानुसार संस्थान में निम्नांकित कमियों के अतिरिक्त सम्बद्धता सम्बन्धी शेष मानक पूर्ण है।

01. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

02. शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

निरीक्षण के समय निरीक्षण मण्डल द्वारा मांगे गये व प्रबन्धतंत्र द्वारा दिखाये गये भूमि, भवन, प्राभूत राशि व आवश्यक संसाधनों आदि के आलोक में निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के समस्त विचारोपरान्त स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना, मुजफ्फरनगर में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0ए0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2010-2011 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ करते है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली 13.22 के अनुपालन में महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष कुलसचिव को सम्बद्धता के सभी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय के द्वारा सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी की जा रही है।

महाविद्यालय के पीछे की चहारदीवारी के निर्माण कार्य प्रगति पर है। शपथ पत्र में महाविद्यालय के प्रथम तल पर सुरक्षा के लिए रेलिंग के कार्य को 15 दिन के भीतर पूर्ण करने का शपथ पत्र सलग्न है।

अतः कुलपति जी के आदेश के आलोक में ... कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्रस्तावित बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयो में शैक्षिक सत्र 2010-2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धताा प्रदान करने हेतु लिये गये निर्णय से विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

नोट :- महाविद्यालय के सम्बद्धता प्रस्ताव की जाँच उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2527(20) / सत्तर-2- 2008-2 (166) / 2002, दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा गठित समिति द्वारा कर ली गयी है।

संलग्नक :- प्रपत्र 'बी'

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव